इटावा पुलिस

प्रेस नोट दिनांक- 06.09.2023

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिक बालिका से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा आजीवन कारावास व 2,05,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में थाना लवेदी व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिक बालिका से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा आजीवन कारावास तथा 2,05,000/- रूपये के अर्थदंड की सजा सुनायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 03.07.2021 को वादिनी ने थाना लवेदी पर तहरीरी सूचना दी कि अंकुश पुत्र बलराम दोहरे द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किया गया है सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये थाना लवेदी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 80/21 धारा 376/504 भादवि व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ0नि0 सुरेश चन्द्र द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र धारा 376 AB/506 भादवि व धारा 5M/6 पॉक्सो एक्ट मे मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना लवेदी पुलिस टीम,पैरोकार का0 धर्मेन्द्र चौधरी एवं मानीटरिंग सैल व विशेष शासकीय अधिवक्ता श्री आशीष तिवारी द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्तों को आज दिनांक 06.09.2023 को अपर सत्र न्यायधीश, ट्राइंग रेप केसिस (पॉक्सो एक्ट) इटावा श्री अजय कुमार द्वितीय द्वारा आजीवन कारावास व 2,05,000/- रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी ।

सजायाफ्ता अपराधी-

1. अंकुश पुत्र बलराम सिंह दोहरे निवासी अबाबक्कपुर थाना लवेदी जनपद इटावा।